

दि. नं. 05/23

कई आलेकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इड
उजवाग

राजेंद्र बनाम सहायक कलक्टर इड का

13/12/23

पत्रावली पेशा फुर्ती ~~सहायक~~ सहायक कलक्टर
इड ने रिपनी हेतु सपन-चाय आगनी पेशी-
पर आवश्यक रूप से रिपनी पेशा करी पत्रावली
दिनांक 19/12/23 को पेश की।

जिला कलक्टर

दूड (राज0)

19/12/23

पत्रावली पेशा हुई। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेड)
इड के पत्रांक /कोर्ट/2023/175 दिनांक
18/12/2023 से रिपनी प्राप्त हुई जो शामिल
मिसल की गई। रिपनी के अनुसार इस
पार्शना पत्र पुनर्किल में वर्जित प्रकार
पार्शना सं. 108/2022 व वाद सं. 176/2022
व उजवागी नाराचंद बनाम भीमली रसदासी वर्ग
अधिकार का पुन विधरण होने से न्यायालय
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेड) इड से न्यायालय
उपरवोट अधिकारी मौजदाबाद में स्थानान्तरित
हो चुका है। इसलिए अब इस पार्शना पत्र
पुनर्किल का कोई औचित्य नहीं है।
इसलिए पार्शनी का पार्शना पत्र पुनर्किल
स्वार्थिज किया जाना है। पत्रावली केवल
मुफ्त होकर दर्ज नम्बर से कम है।
आदेश की प्रति उपरवोट अधिकारी मौजदाबाद
य सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेड) इड को
जारी है। आदेश सर इजलास मुजदाबाद

जिला कलक्टर

दूड (राज0)